दैनिक
न्याय साक्षी

निःशुल्क कोचिंग हेतु काऊंसिलिंग 17 जुलाई को

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा आयोजित आई.आई.टी. एवं मेडिकल कोचिंग में प्रवेश हेतु वर्ष 2018-19 में 10वीं उत्तीर्ण तथा वर्तमान में 11वीं में अध्ययनरत विभिन्न विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 17 जुलाई को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑडिटोरियम में पूर्वान्ह 11 बजे से आयोजित की गई है। काउंसलिंग में छात्र-छात्राओं को अपने पालकों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। मेडिकल कोचिंग हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की ऐसी छात्राओं से जिन्होंने 10वीं कक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग की छात्राओं ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हो, आवेदन प्राप्त किए गए हैं। आई.आई.टी. कोचिंग हेतु छात्र एवं छात्राएं दोनों से आवेदन प्राप्त किये गये हैं। छात्र-छात्राओं को अपने पालकों के साथ अंकसूची, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ उपस्थित होना है। काउंसिलिंग मेरिट के अनुसार की जावेगी। आवश्यकतानुसार जांच परीक्षा भी आयोजित की जा सकेगी। अधिक जानकारी के लिए हॉस्टल अधीक्षक अंकित नामदेव से मोबाईल नंबर 8103348287 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

17 जुलाई को आयोजित सामान्य सभा की बैठक स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पंचायत रायगढ़ के सामान्य सभा की बैठक 17 जुलाई को अपरान्ह 3 बजे जिला पंचायत रायगढ़ के सभाकक्ष में आहूत की गई थी। जो अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित किया गया है।

पशु चिकित्सा विभाग के 3 परिचारक का स्थानांतरण

न्याय साक्षी/रायगढ़। छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2019 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत पशु चिकित्सा विभाग के तीन परिचारक का अस्थायी तौर पर आगामी आदेश पर्यन्त नवीन जगहों पर पदस्थापना किया गया है। स्थानांतरण हुए सभी परिचारक को 30 जुलाई 2019 तक नवीन पदस्थापना स्थान में कार्यप्रभार ग्रहण करना अनिवार्य है। उक्त तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

तेज गति एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का होगा लायसेंस निरस्तीकरण-कलेक्टर

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, नगर निगम आयुक्त रमेश जायसवाल, परिवहन अधिकारी एस.एस.कौशल, एसडीएम, पुलिस विभाग, ट्रेफिक विभाग, पी.डब्लयू.डी. विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चिन्हांकित जगह जहां पर दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है, उन स्थानों पर डबल गति अवरोधक बनाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि शराब पीकर एवं तेज गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही करें। साथ ही सड़कों पर यातायात व्यवस्था को अवरोध करने वाले आवारा पशुओं को भी व्यवस्थित करने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिए है। उन्होंने स्कूल, कालेजों में विद्यार्थियों के लिए यातायात सुरक्षा के संबंध में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है, ताकि विद्यार्थी यातायात से संबंधी जरूरी जानकारी से परिचित हो सके। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को सड़कों पर बने गड्ढों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को छातामुड़ा बाईपास के पास अवैध बने गैरेजों को नोटिस देकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि तमनार रोड, आमाघाट, आमाघाट, कटंगपाली, कंचनपुर जर्जर रोड को सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता बतायी। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर रोड की सुदृढ़ीकरण हो जाने से दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाएगी। साथ ही पार्किंग व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने पार्किंग व्यवस्था का चिन्हांकन करके वाहनों को व्यवस्थित करने के लिए भी दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में चिन्हांकित ब्लैक स्पाट पर सुधार, नवीन चिन्हित ब्लैक स्पाट पर चर्चा, शहरी में पार्किंग स्थल, डिवाईडर बंद करने के संबंध में चर्चा, शहर में सिग्नल लाईट ढिमरापुर चौक, शहीद चौक, सत्तीगुड़ी चौक में लगाने की व्यवस्था के बारे में अवगत कराया गया। अतिक्रमण हटाने, राष्ट्रीय राजमार्गो पर वाहनों की चेकिग की कार्यवाही, यातायात व्यवस्था के संबंध में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई।

सामान्य प्रशासन समिति की बैठक स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पंचायत रायगढ़ के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 17 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे जिला पंचायत रायगढ़ के सभाकक्ष में आहूत की गई थी। जो अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित किया गया है।

कलेक्टर ने दिए राशन कार्ड नवीनीकरण एवं सत्यापन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली।

कलेक्टर ने राशन कार्ड नवीनीकरण एवं सत्यापन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सत्यापन दल द्वारा पंजी संधारित कराई जाए। उन्होंने कहा कि सत्यापन का कार्य चलते रहेगा लेकिन पुराने राशन कार्ड से हितग्राहियों को राशन मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए डाटा एण्ट्री ऑपरेटर पर्याप्त होना चाहिए ताकि एण्ट्री निश्चत समय पर हो सके। उन्होंने उद्योग विभाग के उप संचालक को औद्योगिक इकाईयों में रेनवाटर हार्वेस्टिग सिस्टम एक सप्ताह के भीतर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करायें ताकि उन्हें भटकना ना पड़े।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने वृक्षारोपण के लिए सभी विभागों को लक्ष्य दिया एवं उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस.एन.केशरी ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 से 19 वर्षीय बच्चों को कृमि की गोली खिलायी जानी है। डॉ. भानू पटेल ने बताया कि रोटा वायरस टीकाकरण बच्चों को डायरिया बीमारी से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अस्पतालों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार एवं आर.के.कुरूवंशी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

जिले में राशनकार्ड नवीनीकरण एवं सत्यापन का कार्य प्रारंभ

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के मार्गदर्शन में जिले में राशनकार्ड नवीनीकरण एवं सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। सत्यापन दल द्वारा 15 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक सत्यापन शिविर में आवेदन लेने का कार्य करेंगे।

शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सत्यापन दल द्वारा पंजी संधारित किया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा किए जा रहे है। जिसमें आवश्यक दस्तावेज एवं मुखिया का बैंक खाता एवं राशन कार्ड की छायाप्रति रहेगी। इसके लिए नये राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं लिया जाएगा। आवेदन पत्र अपूर्ण अस्पष्ट नहीं लेना है, जिसके कारण डाटा एण्ट्री में कोई कठिनाई न हो। हितग्राहियों को आवेदन पत्र एवं राशन कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। यह पूर्णतः निःशुल्क प्रक्रिया है। सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ एवं खाद्य अमला अपने क्षेत्र में चल रहे सत्यापन कार्य का सतत् रूप से निगरानी सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य के सुचारू संचालन के लिए सभी जनपद सीईओ एवं सीएमओ आयुक्त नगर निगम, राशन कार्ड के आवेदनों के डाटा एण्ट्री कार्य हेतु योजना बनायेंगे। डाटा एण्ट्री कराने के लिए पर्याप्त संख्या में डाटा एण्ट्री आपरेटर इस कार्य में संलग्न किया जा रहा है ताकि नियत तिथि में कार्य पूरा किया जा सके।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए

गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यर्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री [illegible] श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु. सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी [illegible] एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

स्थापना दिनांक
1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM
For Nuresery to 10th

Topper Students
Last Session

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Techers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480